प्रेस नोट दिनांक-21.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 21.03.2026
थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी, गाली-गलौज के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रामखेलावन मिश्र को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूपियामऊ चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 22.12.2025 को वादी निवासी ग्राम पूरे वाछिल, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ के भाई रामखेलावन मिश्रा, गुड्डी देवी व ज्योति द्वारा नीम का पेड़ काटने से मना करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। आरोप है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर धारदार हथियार एवं लाठी-डंडों से वादी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 362/2025 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 वीरेन्द्र यादव व का0 अनुज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 362/2025 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रामखेलावन मिश्र पुत्र स्व0 स्वामीनाथ मिश्र उम्र 57 वर्ष निवासी बुरे बाछिल थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूपियामऊ चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामखेलावन मिश्र पुत्र स्व0 स्वामीनाथ मिश्र उम्र 57 वर्ष निवासी बुरे बाछिल थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 वीरेन्द्र यादव व का0 अनुज यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 21.03.2026
थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

रंजिशन घर में घुसकर तोड़फोड़ व चोरी की घटना में अभियुक्त गिरफ्तार, सीसीटीवी कैमरा व नकदी बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा तोड़फोड़ व चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त तिलक राज को गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम सुजहा, थाना व तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना रानीगंज पर तहरीर दी गई थी कि पूर्व में दर्ज मुकदमा सं0 0392/25 की रंजिश के कारण विपक्षी तिलक राज, मिलन राज, सुशील कुमार, राहुल सहित अन्य परिजनों द्वारा एकराय होकर फावड़ा, सब्बल व लोहे की रॉड से लैस होकर वादी के घर में घुसकर निर्माणाधीन दीवार व सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त किया गया तथा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि विपक्षियों द्वारा घर में रखा नकद ₹8000, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व मोबाइल फोन भी उठा ले जाया गया । इस संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 455/25 धारा 191(2)/333/324 (4)/305/352/131 BNS बनाम 08 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 नारायण जी, का0 आशीष कुमार, म0कां0 दिव्या, आरक्षी राजू गौड, आरक्षी दशरथ पटेल मय चालक हे0का0 मनोज भटनागर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 455/25 धारा 191(2)/333/324 (4)/305/352/131 BNS थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त तिलक राज पुत्र रामदास यादव उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम्राम सुजहा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद सी0सी0टी0वी0 कैमरा व 1200 रु0 नगद बरामद किया गया, जिसके संबंध मे उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई ।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि हमारे घर के बगल 21 फिट की गैलरी थी, जिस हम लोगो ने आने जाने के लिये छोड़ रखा था जब हमारे परिवार के सभी लोग बाहर थे तो हमारे पड़ोसी उस रास्ते में दिवाल खड़ी कर दिये । जब हम 04/12/2025 को आये तो अगले दिन दिनांक 05/12/2025 को दिवाल तोडने का प्रयास किये लेकिन उन लोगो ने कैमरा लगा दिया था तो हम तथा हमारा भाई मिलन राज पहले कैमरा तोड़े और कैमरा घर पर ले गये फिर दिवाल तोड़ दिये। कैमरे के वारे में पूछने पर बता रहे है कि कैमरा अपने पास रखे थे लेकिन हमे दो दिन पहले पता चला कि पुलिस हमारे घर आने वाली है तो मैने कल ही वह दोनो कैमरा और उसके वाउण्ड्री के पास रखे कुछ पैसे लिये थे वह सभी एक

छोले में रखे थे वह छोला सहित समान मैने सुल्तानपुर तालाव के पास झाडी में छिपा दिया है जिसे चल कर वरामद करा सकता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. तिलक राज पुत्र रामदास यादव उम्र करीब 46 वर्ष निवासी ग्राम्राम सुजहा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 नारायण जी, का0 आशीष कुमार, म0कां0 दिव्या, आरक्षी राजू गौड, आरक्षी दशरथ पटेल मय चालक हे0का0 मनोज भटनागर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।